अजीत कु० भुईयां एवं अन्य

बनाम्

देबाजीत दास एवं अन्य

(सिविल अपील संख्या – 10662/2018)

23 अक्टुबर 2018

[ए० के० सीकरी आैर अशोक भूषण, जेजे.]

न्यायालय का निर्णय **ए० के० सीकरी न्यायमूर्ति** द्वारा पारित किया गया,

1. अनुमति स्वीकृत।

2. इन अपीलों पर एक साथ सुनवाई हुई और इनका निपटारा किया जा रहा है कारण: यह निर्णय उसमें मुद्दों की समानता के कारण है। आक्षेपित निर्णय भी वही है, अर्थात, 07 अगस्त 2015 का निर्णय, जो गौहाटी उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया था।

3. श्री देबजीत दास (यहां प्रतिवादी संख्या 1) को 30 सितंबर, 1996 को लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियंता के रूप में नियुक्त किया गया था और छह साल की सेवा पूरी करने पर उन्हें दिसंबर 2002 में सहायक कार्यपालक अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया था। इसके बाद, पूर्व–कैडर कार्यपालक अभियंता के लिए एक पद सृजित किया गया और उन्हें 02 अप्रैल, 2005 की अधिसूचना के माध्यम से उक्त पद पर पदोन्नत किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 27 जुलाई 2005 को उसकी बैठक के अनुसार चयन समिति की सिफारिश पर भर्ती करके नियमित पदोन्नति दी गई।

4. 14 अक्टूबर 2014 को कार्यपालक अभियंताओं की परस्पर वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गई और तीन दिनों के भीतर अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए चयन समिति की बैठक बुलाई गई। हालाँकि चयन बोर्ड इस आधार पर आगे बढ़ा कि उस तारीख को अधीक्षण अभियंताओं के पद के लिए तेरह रिक्तियाँ थीं, यहाँ अपीलकर्ताओं का तर्क है कि उपलब्ध रिक्तियों की संख्या केवल दस थी (वर्ष 2011 के लिए छह और वर्ष 2014 के लिए चार)। अपीलकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया है कि रिक्तियों की यह बढ़ी हुई संख्या केवल प्रतिवादी नंबर 1 को समायोजित करने के लिए दिखाई गई थी जो वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 52 पर था। हालाँकि, चयन समिति के अनुसार, एक अजीत कृ. काकाती को अधीक्षण अभियंता से सहायक अधीक्षण अभियंता के रूप में पदोन्नत किया गया; एक जियाउद्दीन अहमद को अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा भुगतनी पड़ी और एक कामख्या प्रसाद बेजबरुआ को प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया गया। इस प्रकार, तीन नई रिक्तियाँ उत्पन्न हुईं। तेरह रिक्तियों के साथ, प्रतिवादी संख्या 1 को विचार क्षेत्र में लाया गया और 28 अक्टूबर

2014 को अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए सिफारिश की गई और पदोन्नति आदेश जारी किया गया।

5. प्रतिवादी संख्या 11 ने अधीक्षण अभियंता के पद पर प्रतिवादी संख्या 1 की पदोन्नति को चुनौती देते हुए गौहाटी उच्च न्यायालय के समक्ष 2014 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 5470 के रूप में रिट याचिका दायर की थी। इसके बाद, असम पीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स सर्विस एसोसिएशन ने असम के मुख्यमंत्री को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिन्होंने 11 नवंबर 2014 को समर्थन देकर अतिरिक्त मुख्य सचिव (कार्मिक विभाग) को मामले की जांच करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसके अनुसरण में, एक जांच की गई और रिपोर्ट असम सरकार (पीडब्ल्यूडी) के आयुक्त और विशेष सचिव को भेज दी गई, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 को प्रोन्नति देने में की गई गंभीर अनियमितताओं और अवैधताओं का उल्लेख किया गया था। इसके बाद, असम सरकार के पीडब्ल्यूडी (गोपनीय सेल) ने कार्मिक विभाग के विभिन्न अधिकारियों को 24 दिसंबर, 2014 को एक पत्र जारी कर सूचित किया कि कार्यपालक अभियंता (सिविल) और अधीक्षण अभियंता (सिविल) की रैंक में पदोन्नति के संबंध में 02 जनवरी, 2015 को समीक्षा चयन बोर्ड की बैठक आयोजित की जाएगी।

6. प्रतिवादी संख्या 1 ने भी 2015 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 5 दायर करके गौहाटी उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इसके लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ पदावनति का आदेश पारित किया गया और उसे कार्यपालक अभियंता के पूर्व–कैडर पद पर पदावनत कर दिया गया।

7. उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना कि प्रतिवादी संख्या 1 का कार्यपालक अभियंता के पद पर संवर्गीकरण अवैध था। यह भी माना गया कि चयन समिति ने रिक्तियों की संख्या दस के बजाय तेरह रखने में गलती की। विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादी संख्या 1 को कार्यपालक अभियंता के पद पर अपनी पदोन्नति पाने के लिए धोखाधड़ी करने का दोषी पाया, जो सेवा नियमों के भी विपरीत था क्योंकि उसने न्यूनतम पांच साल की सेवा नहीं की थी। ऐसा मानते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादी संख्या 1 के इस तर्क को खारिज कर दिया कि यहां अपीलकर्ताओं द्वारा दायर की गई रिट याचिकाएं देरी और देरी से ग्रस्त हैं।

8. इससे व्यथित होकर, प्रतिवादी संख्या 1 ने अपील दायर की। 7 अगस्त, 2015 के आक्षेपित फैसले के तहत, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया है, जिससे प्रतिवादी संख्या 1 को अधीक्षण अभियंता (पीडब्ल्यूडी) का पद संभालने की अनुमति मिल गई है। अपीलकर्ताओं ने इससे व्यथित होकर तत्काल अपील दायर की है।

9. हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है। इन अपीलों में शामिल मुद्दे हैं: (ए) क्या प्रतिवादी संख्या 1 की कार्यपालक अभियंता के पूर्व–कैडर पद पर पदोन्नति, और उसके बाद उसका संवर्गीकरण, अवैध है?; (बी) क्या प्रतिवादी संख्या 1 की पदोन्नति के आदेश को चुनौती देने में देरी और देरी अपीलकर्ता संख्या 3 के रास्ते में आएगी? और (सी) क्या जब रिट याचिकाएं न्यायालय के समक्ष लंबित थीं तो क्या सरकार जांच करने में सही थी और क्या बाद में प्रतिवादी संख्या 1 को कार्यपालक अभियंता के पूर्व–कैडर पद पर पदावनत करना अवैध है?

10. यह मुद्दा 2015 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 25770 से उत्पन्न अपील में प्रतिवादी संख्या 1 की पदोन्नति और तीन अपीलकर्ताओं के मुकाबले उनकी वरिष्ठता से संबंधित है। अन्य दो अपीलें राज्य द्वारा हैं असम के साथ–साथ असम पीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स सर्विस एसोसिएशन जो उपरोक्त अपील में तीन अपीलकर्ताओं का समर्थन कर रहे हैं। इस कारण से, उन्होंने उच्च न्यायालय के 07 अगस्त, 2015 के आक्षेपित फैसले पर भी हमला किया। हालाँकि, सुविधा के लिए, पार्टियों को 2015 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 25770 से उत्पन्न अर्थात क्रमशः अपीलकर्ता और प्रतिवादी संख्या 1 अपील के संदर्भ में संदर्भित किया जाएगा।

11. आगे बढ़ने से पहले, उस तरीके पर चर्चा करना उचित होगा जिसमें उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने मामले को आगे बढ़ाया है जिसके परिणामस्वरूप उपरोक्त परिणाम सामने आए हैं। ऊपर बताए गए मौलिक तथ्यों पर ध्यान देने के बाद, उच्च न्यायालय ने विद्वान एकल न्यायाधीश के निष्कर्षों को निम्नलिखित तरीके से सारांशित किया:

> "(i) अपीलकर्ता का ईई के पद पर नामांकन अवैध है। उस तारीख के रूप में जब अपीलकर्ता को एईई के पद से एक्सकैडर ईई के पद पर पदोन्नत किया गया था और उसके बाद पांच महीने के भीतर जब उसे ईई के पद पर नियुक्त किया गया था, तब उसने आवश्यक पांच साल की योग्यता सेवा पूरी नहीं की थी और उसने केवल तीन वर्ष की सेवा में.
>
> (ii) विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए जांच रिपोर्ट पर भरोसा किया कि जिस तारीख को चयन किया गया था उस दिन एसई के कैडर में रिक्तियों की संख्या केवल 10 थी, इसलिए चयन समिति ने रिक्त पदों की संख्या 10 के बाजाये 13 मानकर घोर गलती की।
>
> (iii) विद्वान एकल न्यायाधीश ने पाया कि समीक्षा डीपीसी में किया गया चयन और सरकार द्वारा जांच में पारित अन्य लोगों के परिणामस्वरूप प्रतिवादी 11 को एसई के रूप में पदोन्नत करना

कानूनी और वैध है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी पाया कि अपीलकर्ता ईई के पद पर अपनी पदोन्नति को आउट–ऑफ–टर्न और सेवा नियमों के विपरीत करने में धोखाधड़ी करने का दोषी है, जबकि उसने न्यूनतम पांच साल की सेवा नहीं की है। ईई का पद राजपत्रित नहीं है और यह दिखाने के लिए कि उक्त पदोन्नति को राजपत्रित बताया गया था, अभिलेखों में हेरफेर किया गया था।

(iv) विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ता की इस दलील को खारिज कर दिया कि जांच समिति ने उसकी पदावनति का आदेश पारित करने से पहले उसे सुनवाई का अवसर न देकर घोर त्रुटि की है।

(v) विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ता के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि उत्तरदाताओं द्वारा दायर की गई रिट याचिकाएं देरी और देरी से ग्रस्त हैं और माना कि विभिन्न चरणों में एक व्यवस्थित हेरफेर हुआ था जिसमें अपीलकर्ता की मिलीभगत से इंकार नहीं किया जा सकता है। परिणाम में विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ता को ईई (एक्स–कैडर) के पद पर पदावनत करने के सरकार के आदेश को बरकरार रखा। उक्त आदेश से व्यथित अपीलकर्ता ने यह अपील दायर की है।"

12. इसके बाद, न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 (उक्त अपील में अपीलकर्ता) के वकील की दलील पर ध्यान दिया और असम राज्य के महाधिवक्ता और अपीलकर्ताओं के वकील की दलीलों को भी दर्ज किया। अपने द्वारा नोट किए गए तर्कों और प्रतितर्कों के साथ–साथ विवाद की विषय वस्तु के आधार पर, उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया कि सात प्रस्ताव विचार के लिए आते हैं। ये प्रस्ताव और उनके उत्तर आक्षेपित निर्णय के पैराग्राफ 18 में दिए गए हैं और हम उक्त पैराग्राफ को निकालना उचित समझते हैं जो उच्च न्यायालय के फैसले का स्वाद और सार देगा:

"18. प्रतिद्वंद्वी विवादों पर विचारपूर्वक विचार करने पर निम्नलिखित प्रस्ताव विचार के लिए सामने आ रहे हैं:

(i) क्या अपीलकर्ता की एक्स–कैडर ईई और उसके बाद एन–कैडर के पद पर पदोन्नति अवैध है और यदि ऐसा है, तो क्या देरी और लापरवाही प्रतिवादी 12 के अपीलकर्ता पदोन्नति के आदेश को चुनौती देने के रास्ते में आएगी।

प्रश्न के पहले भाग का उत्तर सकारात्मक है और दूसरे भाग का उत्तर नकारात्मक है।

(ii) क्या जब रिट याचिकाएँ न्यायालय के समक्ष लंबित थीं तो क्या सरकार जाँच कराने में सही थी?

प्रश्न का उत्तर नकारात्मक है.

(iii) क्या अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर न देकर जांच समिति प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करने में गलत थी?

प्रश्न का उत्तर हाँ में दिया गया है।

(iv) क्या एसोसिएशन के पास इस मामले में कोई अधिकार है?

प्रश्न का उत्तर नकारात्मक है.

(v) क्या जांच समिति को पता चला है कि एसई के पद पर पदोन्नति के लिए केवल 10 रिक्तियां उपलब्ध हैं और इसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ता को ईई (एक्स–कैडर) के पद पर पदावनत कर दिया गया है?

प्रश्न का उत्तर हाँ में दिया गया है।

(vi) क्या अपीलार्थी की पदोन्नति के आदेश को निरस्त कर उसे ईई (एक्स–कैडर) के पद पर वापस करने का शासन का आदेश अवैध है?

प्रश्न का उत्तर हाँ में दिया गया है।

(vii) क्या अपीलकर्ता किसी इक्विटी का हकदार है?

अंतिम आदेश के अनुसार? ”

13. उपरोक्त प्रश्नों और उनके उत्तरों पर एक नज़र डालने से यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होगा कि उच्च न्यायालय ने विद्वान एकल न्यायाधीश के निष्कर्ष की पुष्टि की है कि प्रतिवादी संख्या 1 की पूर्व–कैडर कार्यपालक अभियंता के पद पर पदोन्नति और उसके बाद उसका संवर्गीकरण किया गया था। गैरकानूनी। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने भी स्पष्ट निष्कर्ष दिया है कि उस समय पदोन्नति के लिए केवल दस रिक्तियां

उपलब्ध थीं। हालाँकि, साथ ही, यह पाया गया कि प्रतिवादी संख्या 1 की पदोन्नति को रद्द करने और उसे कार्यपालक अभियंता के पूर्व–कैडर पद पर वापस करने का सरकार का आदेश अवैध था। प्रतिवादी संख्या 1 के पदावनति आदेश को रद्द करने का कारण, इस आशय की विशिष्ट खोज के बावजूद कि तेरह रिक्तियों की गणना गलत थी और इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 1 को अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नत करते समय अनुचित लाभ दिया गया था। आक्षेपित निर्णय के पैराग्राफ 26 में दर्ज किया गया है, जिसे नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> "26. ऐसा हो सकता है कि जुलाई 1997 की अधिसूचना जो यह घोषित करती है कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिनियुक्ति पर पांच साल से अधिक समय तक रहता है तो उसे अवशोषित माना जाएगा, यह अवैध हो सकता है क्योंकि प्रतिनियुक्ति पर व्यक्ति को मूल विभाग में पद पर ग्रहणाधिकार प्राप्त होने तक ग्रहणाधिकार रहेगा। समाप्त कर दिया गया है और उक्त पद को रिक्त नहीं माना जा सकता है, लेकिन फिर भी एक सरकारी आदेश था और सामग्री के आधार पर नौकरशाही ने रिक्ति 13 के रूप में निकाली है। जुलाई 1997 की सरकारी अधिसूचना संबंधित विवाद से बहुत पहले जारी की गई थी। उक्त अधिसूचना के आधार पर जब अधिकारियों ने रिक्ति की स्थिति पर काम कर लिया है और पीडब्ल्यूडी मंत्री ने भी इसे मंजूरी दे दी है, तो न्यायालय को नौकरशाही से यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय अधिसूचनाओं और कानून के प्रावधानों की व्याख्या में सख्त न्यायिक मानकों और कानूनी कौशल को लागू करेगी। व्याख्या में नौकरशाही की ओर से किसी भी गलती को केवल एक वास्तविक त्रुटि माना जाना चाहिए, न कि जानबूझकर की गई गलती। उस दृष्टि से 13 रिक्तियों की गणना गलत हो सकती है, लेकिन आज की स्थिति को देखते हुए जब कामाख्या बेजबरुआ को वापस भेजा गया है तब भी एसई की चार रिक्तियां उपलब्ध होंगी। इसलिए स्वदेश वापसी पर कामाख्या बेजबरूआ को एसई के पद पर वापस आने में कोई कठिनाई नहीं दिख रही है। इसलिए हम पाते हैं कि चीजों की उपयुक्तता में यह एक ऐसा मामला है जहां अपीलकर्ता ने देरी और लापरवाही के आधार पर वर्ष 2005 में कुछ अनुचित लाभ लिया था, लेकिन उसकी स्थिति को परेशान करना और एसई के पद पर उसकी पदोन्नति भी उचित नहीं है। इस आधार पर गणना की गई कि 13 रिक्तियां हैं जो एक वास्तविक गलती प्रतीत होती है। बाद के घटनाक्रम को देखते हुए एसई की नई रिक्तियां निकली हैं। कामाख्या बेजबरुआ, जिन्हें वापस लाया गया है, एसई के पद पर बने रहेंगे और वह अपीलकर्ता से वरिष्ठ होंगे। उपरोक्त टिप्पणियों के साथ रिट अपील का निपटारा किया जाता है।"

14. असम राज्य सहित अपीलकर्ताओं का तर्क यह है कि भले ही डिवीजन बेंच विद्वान एकल न्यायाधीश के निष्कर्षों से सहमत थी कि यह प्रतिवादी संख्या 1 को पदोन्नति देने में दिखाए गए पूर्ण पक्षपात का मामला था। प्रथम दृष्टया एक्स–कैडर पोस्ट और उसके बाद उसे संवर्गीकरण और इसे नियमों के विपरीत पाया गया; अपीलकर्ताओं की रिट याचिकाएँ देरी और कमियों के कथित आधार पर खारिज कर दी गईं।

15. असम राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री नलिन कोहली ने यह दिखाने के लिए निम्नलिखित विवरण दिया कि प्रतिवादी संख्या 1 तीन अपीलकर्ताओं से बहुत जूनियर था और फिर भी उनको आगे निकलने की अनुमति दी गई थी, जो बिल्कुल अस्वीकार्य था:

पार्टी	सहायक अभियंता	सहायक कार्यपालक अभियंता	कार्यपालक अभियंता
अपीलकर्ता क्रमांक 1	1980	1989	2002
अपीलकर्ता संख्या 2	1981	1988	2002
अपीलकर्ता क्रमांक 3	1992	1999	अभी तक पदोन्नति नहीं हुई है
प्रतिवादी संख्या 1	1996	2002	2005 (3 वर्ष के भीतर, जैसे प्रति नियम यह करना होगा 5 वर्ष हो)

उन्होंने प्रस्तुत किया कि इसलिए, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादी संख्या 1 की पदोन्नति और संवर्गीकरण के आदेशों में उचित रूप से हस्तक्षेप किया था, जिसे डिवीजन बेंच ने व्यापक आधार पर खारिज कर दिया था।

16. प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी का जवाब था कि डिवीजन बेंच द्वारा अपनाई गई कार्रवाई का तरीका काफी उचित और न्यायसंगत था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी नंबर 1 को वर्ष 2005 में एक पूर्व–कैडर पद पर कार्यपालक अभियंता के रूप में पदोन्नति दी गई थी। इसके बाद उसी साल उन्हें एनकाडर भी बना दिया गया। इस प्रकार, प्रतिवादी नंबर 1, 2005 से

इस पद पर कार्यरत था। इसके बाद, उसे 17 अक्टूबर 2014 से अधीक्षण अभियंता के रूप में पदोन्नत किया गया। इसलिए, एप्पलकार्ट को परेशान करना अन्याय होगा।

17. पक्षों के वकील की दलीलों को उचित रूप से निपटाने के लिए, उन दस्तावेजों का अध्ययन करना आवश्यक होगा जिनके माध्यम से प्रतिवादी नंबर 1 को उपरोक्त लाभ दिए गए थे।

18. अभिलेख से पता चलता है कि असम सरकार ने कार्यपालक अभियंता (पीडब्ल्यूडी) का एक पूर्व कैडर पद सृजित किया था, जिसके तथ्य की जानकारी महालेखाकार (ए एंड डी), असम को 02 अप्रैल, 2005 के संचार के माध्यम से दी गई थी। इस पत्र में उल्लेख किया गया है कि असम के राज्यपाल ने पत्र जारी होने की तारीख से यानी 02 अप्रैल, 2005 से 28 फरवरी 2006 तक की अवधि के लिए पूर्व कैडर कार्यपालक अभियंता के एक पद के सृजन को मंजूरी दे दी है। यह भी कहा गया था कि 28 फरवरी, 2006 के बाद यदि आवश्यक हुआ तो पीडब्ल्यूडी इस पद को पदधारी के नाम के साथ अपने पास बनाए रखने के लिए कदम उठाएगा। यह निम्नलिखित शर्तों के अधीन था जो उक्त पत्र में ही निहित थीं:

> "1. कार्यपालक अभियंता, पीडब्ल्यूडी के पद पर मुख्यमंत्री के ओएसडी का पूर्व–कैडर पद श्री देबजीत दास का व्यक्तिगत होगा।
>
> 2. जैसे ही श्री देबजीत दास को मूल कैडर में कार्यपालक अभियंता, पीडब्ल्यूडी के रूप में नियमित पदोन्नति मिलेगी, कार्यपालक अभियंता, पीडब्ल्यूडी के पद पर मुख्यमंत्री के ओएसडी का पूर्व–कैडर पद समाप्त हो जाएगा।
>
> 3. 28–02–2006 के बाद, लोक निर्माण विभाग, यदि आवश्यक हो, पदधारी के नाम के साथ, इस पद को आगे बनाए रखने के लिए कदम उठाएगा।
>
> इस बीच, लोक निर्माण विभाग को सहायक कार्यपालक अभियंता से कार्यपालक अभियंता के नियमित पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू करने की सलाह दी जाती है।
>
> एसडी/–
>
> अवर सचिव वित्त (ईसी–II) विभाग"

19. उपरोक्त से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह एक्स–कैडर पद विशेष रूप से प्रतिवादी संख्या 1 के लिए बनाया गया था, जो मूल संवर्ग में कार्यपालक अभियंता के रूप में प्रतिवादी संख्या 1 की नियमित पदोन्नति तक रहना था। यह पक्षपात के अलावा और कुछ नहीं था।' प्रासंगिक रूप से, प्रतिवादी संख्या 1 उस समय मुख्यमंत्री के साथ विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में जुड़ा हुआ था। यह नोट करना भी प्रासंगिक है कि हालांकि अपीलकर्ता संख्या 1 और 2 को पहले ही कार्यपालक अभियंता (जिन्हें वर्ष 2002 में पदोन्नत किया गया था) के रूप में पदोन्नत किया गया था, अपीलकर्ता संख्या 3 को अभी तक पदोन्नत नहीं किया गया था। इस प्रकार, वे प्रतिवादी संख्या 1 से काफी वरिष्ठ थे।

20. पूर्व–कैडर पद पर प्रतिवादी संख्या 1 की उपरोक्त पदोन्नति के तीन महीने के भीतर, प्रतिवादी संख्या 1 को कैडर में नियमित पदोन्नति दी गई। जिस तरह से यह दोबारा किया गया उससे पता चलता है कि उसे अनुचित लाभ दिया गया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आयोजित पूर्व–कैडर पद के संवर्गीकरण के लिए चयन बोर्ड की बैठक 27 जुलाई, 2005 को आयोजित की गई थी। इन बैठकों के कार्यवृत्त रिकॉर्ड में रखे गए हैं। यह दर्ज किया गया है कि विभाग द्वारा मूल्यांकन के अनुसार वर्ष 2004 में संभावित रिक्तियां तेरह हैं, जिनमें एक अधिकारी की सेवानिवृत्ति के कारण (सिविल) 31 दिसंबर, 2004 को समाप्त वर्ष के दौरान मौजूदा रिक्तियां और बारह कार्यपालक इंजीनियरों की अधीक्षण अभियंताओं के पद पर पदोन्नति के कारण हुई बारह रिक्तियां शामिल हैं। कार्यवृत्त में यह भी दर्ज है कि बोर्ड को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सूचित किया गया था कि विभाग ने वित्त की सहमति से प्रतिवादी संख्या 1 को कार्यपालक अभियंता (एक्स–कैडर) के रूप में पदोन्नति दी थी। विभाग। अन्य बातों के अलावा, उपरोक्त आधार पर, चयन बोर्ड ने उनके संवर्गीकरण की सिफारिश की। यह नोट किया गया कि चूंकि तेरह रिक्तियां थीं और प्रतिवादी संख्या 1 चयन सूची में तेरहवें स्थान पर था, इसलिए उसके नामांकन की सिफारिश की गई थी।

21. उपरोक्त कार्यवृत्त से दो बातें प्रवाहित होती हैं, जो इस प्रकार हैं:

(ए) बोर्ड को गलत जानकारी दी गई थी कि तेरह रिक्तियां थीं।

(बी) प्रतिवादी संख्या 1 को वर्ष 2002 में सहायक कार्यपालक अभियंता के रूप में पदोन्नत किया गया था और वर्ष 2005 में कार्यपालक अभियंता के रूप में पदोन्नत किया गया था, यानी सहायक कार्यपालक अभियंता के रूप में उनकी पदोन्नति के तीन साल के भीतर। मौजूदा नियमों में प्रावधान है कि कार्यपालक अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र होने के लिए एक व्यक्ति को सहायक कार्यपालक अभियंता के रूप में न्यूनतम पांच साल तक काम करना चाहिए। इस प्रकार, वह

कार्यपालक अभियंता के पद पर विचार किये जाने के योग्य भी नहीं थे। ऐसा प्रतीत होता है कि चयन बोर्ड ने इस मूलभूत पहलू पर प्रकाश डाला और इस आधार पर आगे बढ़ा जैसे कि प्रतिवादी संख्या 1 पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के योग्य था।

उपरोक्त दो स्पष्ट दोषों के बावजूद, जो मामले की जड़ तक जाते हैं, चयन बोर्ड की सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया और असम सरकार ने 3 अगस्त, 2005 को कार्यपालक अभियंता (सिविल), लोक निर्माण विभाग को आदेश जारी कर प्रतिवादी संख्या 1 सहित विभिन्न व्यक्तियों को इस पद पर पदोन्नत किया।

22. इस प्रकार, हम पाते हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश के निष्कर्ष इस आशय के हैं कि कार्यपालक अभियंता के पद पर प्रतिवादी संख्या 1 का नामांकन न केवल इस आधार पर अवैध था कि वह विचार के लिए अयोग्य था, जैसा कि उसने रखा था केवल तीन साल की सेवा, लेकिन इस कारण से भी कि केवल दस रिक्तियां थीं और तेरह नहीं और इसलिए, प्रतिवादी संख्या 1 को बिल्कुल भी पदोन्नत नहीं किया जा सका, वे दोष रहित हैं। हम विद्वान एकल न्यायाधीश के निष्कर्षों से भी सहमत हैं कि प्रतिवादी संख्या 1 कार्यपालक अभियंता के पद पर अपनी पदोन्नति को सेवा नियमों के विपरीत और सेवा नियमों के विपरीत करने में धोखाधड़ी करने का दोषी था। यहां तक कि डिविजन बेंच ने भी अपने फैसले में, अपने फैसले के पैराग्राफ 20 में उपरोक्त स्थिति को स्वीकार किया, जो इस प्रकार है:

“20) इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलकर्ता की ईई(संवर्ग) के पद पर पदोन्नति और परिणामी कैडर सेवा नियमों के विपरीत है, क्योंकि उसने पदोन्नति के लिए पात्र होने के लिए पांच साल की आवश्यक सेवा पूरी नहीं की थी। ईई का पद. पदोन्नति आदेश में यह शर्त कि अधिकारी "इस प्रकार संवर्गित पद पर" वरिष्ठ श्रेणी के पद पर आने तक सबसे निचले पद पर रहेगा, एक अस्थिर शर्त प्रतीत होती है जिसे सेवा नियमों के तहत पदोन्नति से जोड़ा जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें अवैधताएं बढ़ी हुई हैं। पदोन्नति अवैध हो सकती है. इतना ही नहीं निर्धारित शर्तें भी अवैध हैं। सेवा नियमों के अनुसार पदोन्नति दी जानी है।

23. दिलचस्प बात यह है कि डिवीजन बेंच ने यह भी माना है कि सरकार द्वारा तेरह रिक्तियों की गणना भी गलत हो सकती है। हालाँकि, इस पहलू को यह कहकर नजरअंदाज कर दिया गया है कि यह एक

वास्तविक गलती थी, न कि जानबूझकर की गई। तथ्य यह है कि डिवीजन बेंच ने स्वीकार किया है कि तेरह रिक्तियां अस्तित्व में नहीं थीं।

24. इसके बावजूद, डिवीजन बेंच ने अपीलकर्ताओं को केवल इस आधार पर गैर–अनुकूलित किया है कि अपीलकर्ताओं द्वारा दायर की गई रिट याचिका देरी और लापरवाही से पीड़ित थी क्योंकि यह प्रतिवादी संख्या 1 की पदोन्नति के नौ साल बाद दायर की गई थी और कहा गया है कि यहां तक कि जब प्रतिवादी क्रमांक 1 ने पदोन्नति पाने में अनुचित पक्षपात किया था, तो देरी और देरी के कारण निर्णय को परेशान करना उचित नहीं था, साथ ही यह तथ्य भी था कि इस बीच प्रतिवादी क्रमांक 1 को अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नति मिल गई थी।

25. इसलिए, इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता है, जिससे अपीलकर्ताओं को इस आधार पर राहत देने से इनकार कर दिया जाए कि उनकी रिट याचिका देरी और देरी से ग्रस्त है।

26. उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिनमें प्रतिवादी संख्या 1 को एक्स–कैडर पद सृजित करके कार्यपालक अभियंता के पद पर पदोन्नति दी गई थी और उसके बाद जिस तरीके से रिक्तियों की संख्या बढ़ाकर उसे उक्त पद पर नियुक्त किया गया था। रिकॉर्ड, उस तरीके के बारे में बहुत कुछ बताता है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 को अनुचित लाभ दिखाया गया था। यह ध्यान रखना होगा कि उस समय वह मुख्यमंत्री के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। ये तथ्य अनुचित लाभ देकर प्रतिवादी संख्या1 को आउट–ऑफ–टर्न प्रमोशन देने के लिए विभिन्न चरणों में सिस्टम में स्पष्ट हेरफेर को दर्शाते हैं। इस तरह के 'फ्लाईओवर प्रमोशन' के साथ, प्रतिवादी संख्या 1 सहायक कार्यपालक अभियंता के कैडर में कई वरिष्ठ सहयोगियों को दरकिनार करके सहायक कार्यपालक अभियंता से अधीक्षण अभियंता बन गया, जो अभी भी उसी कैडर में स्थिर हैं। जब यह तथ्यात्मक स्थिति रिकॉर्ड पर उभरी और डिवीजन बेंच द्वारा भी विधिवत अनुमोदित की गई, तो हमारी राय है कि देरी और विलंब के आधार पर रिट याचिका को खारिज नहीं किया जा सकता है। वास्तव में, डिवीजन बेंच ने पूरे अभ्यास को एक वास्तविक त्रुटि करार देकर इस सिद्धांत को लागू करने में गलती की है। जो कुछ हुआ उसे 'सच्चाई' नहीं कहा जा सकता. यह प्रतिवादी संख्या 1 के प्रति दिखाए गए पक्षपात का स्पष्ट मामला था और कार्रवाई नियमों के विपरीत थी।

27. इसके अलावा, इस निष्कर्ष पर पहुंचने का एक और कारण है कि उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने प्रतिवादी संख्या 1 को इस आधार पर बचाने में गलती की थी कि रिट याचिकाएं देरी और देरी से ग्रस्त

थीं। दरअसल, एसोसिएशन ने तत्कालीन मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा था. आरोपों की प्रकृति को देखते हुए, मुख्यमंत्री ने इस पर सही कार्रवाई की और मामले को एक समिति के पास भेज दिया, जिसने मामले की जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट भी दी थी जिसमें कहा गया था कि प्रतिवादी संख्या 1 की पदोन्नति नियमों के खिलाफ थी। यह देरी, यदि कोई हो, के लिए उचित स्पष्टीकरण प्रदान करता है।

28. हमारी राय है कि कम से कम तीन मामलों में यह वस्तुतः धोखाधड़ी का मामला था। सबसे पहले, केवल प्रतिवादी संख्या 1 के लिए कार्यपालक अभियंता का एक्स–कैडर पद सृजित करके और उसे वह पद तब दिया गया जब वह कई अन्य लोगों से बहुत जूनियर था। दूसरा, प्रतिवादी संख्या 1 को कार्यपालक अभियंता के रूप में यह दिखाकर पदावनत करना कि वहां तेरह पद थे, जबकि वास्तव में, उस तारीख को कार्यपालक अभियंता के केवल दस पद थे। ऐसा स्पष्टतः उसे समायोजित करने के उद्देश्य से किया गया था। तीसरा, पदोन्नति तब दी गई जब प्रतिवादी संख्या 1 नियमों के अनुसार पात्र भी नहीं था क्योंकि उसने पांच साल की न्यूनतम सेवा भी पूरी नहीं की थी। धोखाधड़ी हर कार्रवाई को निष्प्रभावी कर देती है और इसे इस आधार पर छिपाकर नहीं रखा जा सकता कि जिस कार्रवाई को चुनौती दी गई है, उसमें देरी हुई है, खासकर तब जब ऐसी देरी के लिए उचित स्पष्टीकरण मौजूद हो।

29. तदनुसार, हम इन अपीलों को स्वीकार करते हैं, उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के दिनांक 07 अगस्त, 2015 के आक्षेपित फैसले को अपास्त करते हैं और विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को बहाल करते हैं।

हर्जाने के संबंध में कोई आदेश नहीं।

अपील स्वीकृत

शिवम चौरसिया,
सिविल जज (वरिय कोटी) सप्तम्–सह–न्यायिक दण्डाधिकारी,
धनबाद।